रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012021-224827
CG-DL-E-30012021-224827

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942
No. 403] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

का.आ. 440(अ).—मंत्रालय की प्रारुप अधिसूचना का.आ. 2637 (अ.), दिनांक 28 जुलाई, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व 76° 30' 6.79" पू और 10° 15' 1.78" उ और 76° 54' 8.19" पू और 10° 34' 36.94" उ के बीच स्थित है, यह 643.66 वर्ग किलोमीटर के विस्तार के साथ बाघ रिज़र्व घोषित किया गया था। बाघ रिज़र्व के कोर जोन पालाक्कड़ जिला के चित्तूर तालुक और थ्रिस्सूर जिला के मुकुन्दापुरम तालुक में स्थित है जबकि बफर जोन केरल राज्य में पालाक्कड़ जिला के चित्तूर तालुक और थ्रिस्सूर जिला के मुकुंदापुरम, अलाथूर तालुकों में स्थित है। कुल क्षेत्रफल में से, 390.89 वर्ग किलोमीटर के विस्तार को कोर एवं संकटपूर्ण बाघ वास के रुप में और 252.77 वर्ग किलोमीटर बाघ रिज़र्व के बफर जोन के रुप में अधिसूचना सं. जीओ (पी) सं. 53/2009/एफ एवं डब्ल्यू एल डी दिनांक 16 दिसंबर, 2009 द्वारा घोषित किया गया। परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के कोर क्षेत्र में परम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य का 245.128 वर्ग किलोमीटर, नेममारा वन संभाग का 42.99 वर्ग किलोमीटर, वझाचल वन संभाग का 60.53 वर्ग किलोमीटर और चालाकुडी वन संभाग का 42.24 वर्ग किलोमीटर शामिल है। बाघ रिज़र्व का बफर जोन अधिसूचना सं. जी ओ (पी) - 54/2009/एफ एवं डब्ल्यू एल डी दिनांक 17 दिसंबर 2009 द्वारा घोषित किया गया जिसमें परम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य के 39.87 वर्ग किलोमीटर, नेममारा वन संभाग का 46.27 वर्ग किलोमीटर, चालाकुडी वन संभाग का 11.41 वर्ग किलोमीटर, वझाचल वन संभाग का 155.22 वर्ग किलोमीटर शामिल हैं। परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व पश्चिमी घाटों के नेल्लियमपथी-अनामलाई उप इकाई का अच्छा संरक्षित पारिस्थितिकी भाग है और केरल और तमिलनाडु के अन्य वनसंभाग और संरक्षित क्षेत्रों के पारिस्थितिकी रुप से समान वनों द्वारा सुरक्षित है। बाघ रिज़र्व अनामुडी हाथी रिज़र्व (4163.73 वर्ग किलोमीटर) का महत्वपूर्ण घटक है;

और, परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व विविध वास प्रकारों जैसे सदाहरित वनों, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों, घासभूमि आदि को आश्रय प्रदान करता है। बाघ रिज़र्व में अन्य अद्भुत वास जैसे मोंटने घासभूमि और दलदली घासभूमि स्थानीय रुप से ('वायल' के नाम से जाना जाता है) व्यापक रुप से पाए जाते हैं। मानव निर्मित सागौन बगान के काफी विस्तार और तीन बांधों के निर्माण द्वारा सृजित गहरे ताजे जल की पारि प्रणाली (जलाशय) से बाघ रिज़र्व की विविधता में वृद्धि होती है। बाघ रिज़र्व में मुख्य दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न पौधे प्रजातियां स्ट्रोबिलैंथस डुपेनी, सेमेकार्पस ऑरिकुल्लाटा, सोलेनोकार्पस इंडिकस, मित्रेफोरा ग्रैंडिफ्लोरा, ओरोफिया यूनिफ्लोरा, सगरेआ लौरिफ़ोलिया, टाबर्नेमोंटाना गैंबलि, अमोर्फोफैलस होहेनैकेरी, अराइसेमा एटेनौटम, अरिसैमा मुर्रायी, पोथोस थोमसोनिएनस, अरालिया मालाबैरिका, सेरोपेगिया मैकुलाटा, सेरोपेगिया ओमिस्सा, इम्पेतीन्स एकौलिस, इम्पेतीन्स दासस्पर्म, इम्पेतीन्स विरिडीफ्लोरा, इम्पेतीन्स वाइटियाना, हापलोथिस्मिया एक्सानुलाता, लसिएन्थस रोस्ट्रेटस, माइसेटिया एक्यूमिनाटा, ओचेरिनाक्लाइया मिशनिस, ऑफीर्रिहियाजा ब्रूनोसिस, साइकोट्रिया ग्लोबिसेफाला, तारेन्ना मोनोस्पर्मा, यूरोडिया लुनु-एकेंडा, वेप्रीस बिलोकुलैरिस, एलोफाइलस कॉनिकानिकस, मधुका बूर्डिलोनि, स्मिलैक्स वाइटी, प्रेम्ना ग्लोबेरिमा, अमोमम माइक्रोस्टेफेनम, बोयसेंबर्गिया पल्सेरिमा, आदि उपलब्ध हैं;

और, परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व कई लुप्तप्राय जीवजंतु की अच्छी जनसंख्या को आश्रय प्रदान करता है। भू-दृश्य में बाघों और अन्य सह-परभक्षियों की उपस्थिति इस क्षेत्र के पारिस्थितिकीय महत्व को दर्शाते हैं। यहां पश्चिमी घाट की मुख्य शाकाहारी प्रजातियां जैसे एशियाई हाथी, गौर, चित्तीदार हिरण, सांभर और मुंजक (मुंटजैक) पाई जाती हैं। बाघ रिज़र्व की मुख्य जीवजंतु में नीलगिरि लंगूर (प्रेस्बिटिस जोहनी), सिंह पुच्छ लघु वानर (मकाका सिलीनस), तवांगु लोरिस (लोरिस टार्डिग्रेडस), बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस), तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस), भारतीय हाथी (एलीफस मैक्सिमस), गौर (बोस गौरस), नीलगिरि तहर (हर्मिट्रैगस हाइलोक्रिअस), पिसूरी (ट्रागुलस मेमिना), भारतीय पेंगोलिन (मैनिस क्रसिकायूडेटा), तेंदुआ बिल्ली (फेलिस बेंगलेंसिस), रीछ (मेलुरस अर्सीनस), लघु पुच्छ वानर (मकाका रेडियोटा), सामान्य लंगूर (प्रेस्बिटिस एंटेलस), जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस), छोटे भारतीय सिवेट (विवेरिकुला इंडिका), भारतीय जंगली कुत्ता (कुऑन

अल्पिनस), सामान्य ऊदबिलाव (लुट्रा लुट्रा), नीलगिरी चिराला (माट्र्स गवाटकिन्सि), भारतीय विशाल गिलहरी (रुतुफा इंडिका), फ्लाइंग गिलहरी (पेटौरिस्ता फिलीपिंसिस), चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), सांभर (कर्वस यूनिकोलर), मुंजक (मंटियाकस मुंटिजैक), भारतीय बनैला सूअर (सस स्क्रोफा) रूडी नेवला (हर्पेस्टस स्मिथी), भूरा नेवला (हर्पेस्टस फ्यूकस), स्ट्राइप - नेक्ड नेवला (हर्पेस्टेस विट्रिकोलिस), ब्लैकनेप्ड खरगोश (लेपस नाइग्रीकोलिस नाइग्रीकोलिस), भारतीय साही (हिस्ट्रिका इंडिका), फ्रूट बैट (रस्सेटस लेश्वनओल्टी), बैंडिकूट चूहा (बैंडिकोटा इंडिका), सामान्य घरेलू चूहा (रैट्स रैट्स), टोड्डी बिल्ली (कामन पाम सिवेट) (पैराडॉक्सुरस हेर्मैफ्रोडिटस), तीन स्ट्राइप्ड पाम गिलहरी (फनंबुलस पाल्मरम), डस्की स्ट्रीप्ड गिलहरी (फैंम्बुलस सब्लिनिएटस), ग्रे मस्क श्रेव (सनकस मुरिनस), छोटे ट्रैवकोर उड़ने वाली गिलहरी (पेटिनोमिस फ्यूस्कोकैपिलस), आदि शामिल हैं;

और, परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व में समृद्ध और विविधतापूर्ण पक्षी वास हैं और बाघ रिज़र्व से पक्षियों की कुल 274 प्रजातियां सूचित की गई है। बाघ रिज़र्व में तीन बांधों का संनिर्माण से जल पक्षियों का नया जल आवास बन गया है जो पक्षियों की अनेक प्रजातियों को आकर्षित करता है जो कि इस क्षेत्र में मूल रुप से दिखाई नहीं देते हैं। पक्षियों में, आवासी पक्षियों की 144 प्रजातियां, लंबी दूरी प्रवासी की 48 प्रजातियां, स्थानीय प्रवासी की 96 प्रजातियां हैं और 42 प्रजातियों की स्थिति की पुष्टि की आवश्यकता है। इस अभयारण्य में पक्षी पश्चिमी घाटों के स्थानिक 39 पक्षी प्रजातियों में से 15 पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति के कारण है। बाघ रिज़र्व की कुछ महत्वपूर्ण पक्षियों में ग्रेट व्हाइट बेल्लड हेरोन (अर्दिया इन्सिग्निस), सफ़ेद सारस (सिकोनिया सिकोनीया), लेजर एडजुटेंट सारस (लेप्टोपिलोस जावानिकस), ब्लैक क्रेस्टेड बेजा (एवीकेडा लेउफ़ोटेस), स्माल प्रेटिनकोल (ग्लेरेला लैक्टिया), रिवर टर्न (स्टरनिया ओंरटिया), पेनिनसुलर बे आउल (पॉडिलस बैडियस रिपेली), मालाबार पाइड हॉर्नबिल (एन्थ्राकोसेरोस कोरोनाटस), ग्रेट पाइड हॉर्नबिल (ब्यूसरोस बाइकोर्निस), ग्रेट ब्लैक कठफोड़वा (ड्रायोकोपस जेविनीकस), हेयर क्रेस्टेड ड्रोंगो (डिक्रुरस होवेंटोटस), फेयरी ब्लू बर्ड (इरेना पुएला), आदि हैं;

और, परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व दक्षिणी भारत में गौर जनसंख्या के उच्चतम घनत्व में से एक को आश्रय प्रदान करता है। बाघ रिज़र्व में उच्च-ऊंचाई की चट्टानी पहाड़ियों और घासभूमि पर सिर्फ दक्षिण भारतीय जंगली बकरी, नीलगिरि तहर पाए जाते हैं। यहां अन्य प्राइमेटस् और वृक्षवासी पशुओं में लगभग 250-300 लॉयन-टेल्ड मैकाक की अच्छी जनसंख्या पाई जाती है। महत्वपूर्ण वृक्षवासी पशुओं में रोडेंट्स जैसे मालाबर जेन्ट गिलहरी और फ्लाइंग गिलहरी है। लगभग 273 प्रजातियों के आवासी और प्रवासी पक्षियों की महत्वपूर्ण जनसंख्या रिज़र्व को पक्षी वॉचर स्वर्ग बनाता है। जलीय जीवजंतु में, मगरमच्छ, ऊदबिलाव, ताज़ा जल मछली विशेष रुप से महसीर (स्थानीक गेम मछली) उल्लेखनीय है। रिज़र्व कई दुर्लभ छोटे पशुओं जैसे तारनतुला (बड़े शरीर वाली मकड़ी) के लिए भी वास है;

और, परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य के पालाक्कड़ और थ्रिस्सूर जिले के परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 10.09 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 10.09 किलोमीटर तक विस्तृत होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 331.352 वर्ग किलोमीटर है। बाघ रिज़र्व के विभिन्न दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:

दिशा	न्यूनतम	अधिकतम
उत्तर	0.75 किलोमीटर (निजी चाय बागान में) 1.00 किलोमीटर (प्राकृतिक वन में)	2.00 किलोमीटर (निजी चाय बागान में) 2.32 किलोमीटर (प्राकृतिक वन में)
उत्तर-पूर्व	लागू नहीं	0 किलोमीटर (तमिलनाडु में निकटस्थ बाघ रिज़र्व के साथ साझा सीमा)
पूर्व	लागू नहीं	0 किलोमीटर (तमिलनाडु में निकटस्थ बाघ रिज़र्व के साथ साझा सीमा)
दक्षिण-पूर्व	2.95 किलोमीटर (प्राकृतिक वन में)	10.09 किलोमीटर (प्राकृतिक वन में)
दक्षिण	1.75 किलोमीटर (प्राकृतिक वन में)	6.75 किलोमीटर (प्राकृतिक वन में)
दक्षिण-पश्चिम	1.00 किलोमीटर (प्राकृतिक वन में)	2.00 किलोमीटर (प्राकृतिक वन में)
पश्चिम	0 किलोमीटर (चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य के साथ साझा सीमा) 0.45 किलोमीटर (मानव बसावट में)	1.76 किलोमीटर (मानव बस्तियों में) 3.24 किलोमीटर (प्राकृतिक वन में)
उत्तर-पश्चिम	लागू नहीं	8.32 किलोमीटर (संपूर्णतः प्राकृतिक वन)

राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार उचित ठहराया गया है जैसाकि "उत्तर –पश्चिम और पूर्व दिशाओं पर, (परम्बीकुलम का कोर जोन) निकटवर्ती अनामलाई बाघ रिज़र्व के साथ सीमा साझा करता है।

इसलिए इन दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित नहीं है।" उसी तरह, परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के कोर जोन की पश्चिमी सीमा के साथ 8.5 किलोमीटर लंबाई का विस्तार चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य के साथ सीमा साझा करता है।

परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व उत्तर-पूर्व, पूर्व और दक्षिण-पूर्व (31 किलोमीटर के चारों ओर) पर तमिलनाडु में सीमा साझा करता हैं। इसलिए इन दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है।

(2) परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक –I** की सारणी **क** और सारणी **ख** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के मानचित्र **अनुलग्नक –IIक, अनुलग्नक –IIख, अनुलग्नक –IIग और अनुलग्नक –IIघ** के रूप में संलग्न हैं।

(4) परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक -III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों/मानव बस्तियों के क्षेत्रों की सूची **अनुलग्नक –IV** के रुप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिचांई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) स्थानीय स्वशासन विभाग;

(xi) पंचायती राज;

(xii) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xiii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा ।

(4) प्राकृतिक विरासत.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएंगा ।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सरण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या केंद्र शासित द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई–अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) सड़क-यातायात.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणी**
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त ,2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल , 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर संशोधित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।

3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन

		भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
21.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को छोड़कर लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, नामत:

क्र.स.	**निगरानी समिति का गठन**	**पद**
(i)	जिला कलेक्टर, पालाक्कड़ या उनके प्रतिनिधि	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	विधान सभा का सदस्य, नेम्मारा	सदस्य;
(iii)	विधान सभा के सदस्य, चलकुडी	सदस्य;
(iv)	जिला पंचायत अध्यक्ष, पालाक्कड़	सदस्य;
(v)	पर्यावरण विभाग, केरल सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	केरल सरकार द्वारा नामित प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला अधिकारी, पालाक्कड़	सदस्य;
(viii)	सदस्य राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
(ix)	उप निदेशक, परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व	सदस्य- सचिव

6. निर्देशन निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/170/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक – I

क. केरल राज्य में परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व की सीमा का विवरण

उत्तर: सीमा कलचड़ी के (400 मीटर दक्षिण) दक्षिण पूर्व भूभाग में नेल्लीयमपैथी आरक्षित वन सीमा के बिन्दु से आरंभ होकर और पुल्लाला माला के दक्षिण-पश्चिम ढलान से नीचे की ओर धारा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर जाती है और यह अवतल प्रदेश बिंदु पहुँचकर और इसके अतिरिक्त पुल्लाला माला की दक्षिण ढलान से निकली अन्य धारा के साथ जाती है और उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ करदी भूमि उत्तरी सीमा और धारा का विलय होता है।

वहाँ से सीमा कारा-पारा भूमि की उत्तरी और पश्चिमी सीमा और बीट राइस भूमि की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है और उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ परम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा बीट राइस भूमि की पश्चिमी सीमा से मिलती है। वहाँ से सीमा परम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर पूर्व भू-भाग पर स्थित कुचीमाला तक परम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है।

पूर्व: वहाँ से कुचीमाला से केरल और तमिलनाडु के बीच अंतर-राज्य सीमा के साथ-साथ जाती है और पंडारावारामाला, माउंट स्ट्रॉट और करैनशोला और वेन्गोलीमाला चोटी से होते हुए गुजरती है और वहाँ से सीमांकित रेखा के जरिए वारागलियार से होते हुए जाती है और तमिलनाडु के पालाघाट और त्रिचुर जिलों के त्रि-जंक्शन तक जाती है। सीमा अंतर-राज्य सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है और उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ शोलायार जलाशय के पूर्वी भाग पर अंतर-राज्य सीमा मिलती है।

दक्षिण: वहाँ से सीमा शोलायार जलाशय के उत्तरी तट के साथ पश्चिम की ओर जाकर और पुनः शोलाई ए आर के उत्तरी तट के साथ जाती है जहाँ यह वज़हाचल प्रभाग के वज़हाचल श्रेणी के पूर्वी सीमा के साथ पहुँचती है। सीमा वहाँ से वज़हाचल प्रभाग (शोलाई ए आर के साथ) की वज़हाचल श्रेणी की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाकर यह उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ ओरुकोम्बन के निकट परम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा वज़हाचल प्रभाग के शोलायार श्रेणी के उत्तर पश्चिम भू-भाग से मिलती है। वहाँ से परम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाकर यह उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ मुदुराजल में ट्रेमवे रेखा कारापारा नदी को पार करती है। वहाँ से सीमा कावला छोर की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाकर कावला में समाप्त होती है।

पश्चिम: वहाँ से सीमा पुण्डी मुदी (1116 मीटर एम एस एल) से नीचे की ओर जाती धारा के साथ उत्तर की ओर जाती है और पुण्डी मुदी चोटी पर चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा पर समाप्त होती है। वहाँ से यह चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य और वेल्लीकुलांगारा श्रेणी के बीच सीमा के साथ उत्तर पूर्वी दिशा में जाती है फिर यह त्रि-जंक्शन बिंदु को छूती है जहाँ चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य, वेल्लीकुलांगारा श्रेणी और अलाथुर श्रेणी मिलती है। वहाँ से सीमा इसके अतिरिक्त वेल्लीकुलांगारा श्रेणी की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है और उस बिंदु पर समाप्त होती है जहाँ नेल्लीयमपैथी श्रेणी के पदागिरि खंड की दक्षिण पश्चिम सीमा, यू टी टी कम्पनी भूमि की दक्षिण पूर्व सीमा और वेल्लीकुलांगारा श्रेणी की उत्तरी सीमा मिलती हैं। वहाँ से सीमा नेल्लीयमपैथी श्रेणी की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है और आरंभिक बिंदु पर समाप्त होती है।

वर्जित क्षेत्र – उपर्युक्त सीमा के अंतर्गत, कोर एवं संकटपूर्ण बाघ वास से 39.872 वर्ग किलोमीटर का विस्तार वर्जित है जिसमें (i) परम्बीकुलम (17.570 वर्ग किलोमीटर) और थुनाकाडावू और पेरुवरी पल्लम (3.089 वर्ग किलोमीटर) के जलाशय के 20.659 वर्ग किलोमीटर शामिल है; (ii) 0.913 वर्ग किलोमीटर जिसमें आदिवासी बसावट (34.3 हेक्टेयर) और बस्तियों (57 हेक्टेयर) की परिधि से 100 मीटर बफर अर्थात् संगम (3.07 हेक्टेयर + 9 हेक्टेयर), पौप्पारा (24 हेक्टेयर + 21 हेक्टेयर), पांचवी कॉलोनी (1.38 हेक्टेयर + 7 हेक्टेयर), कुरीरकुट्टी (5.09 हेक्टेयर + 10 हेक्टेयर), परम्बीकुलम में पृथ्वी बांध कॉलोनी (0.33 हेक्टेयर + 5 हेक्टेयर) और परम्बीकुलम (0.40 हेक्टेयर + 5 हेक्टेयर) में कदर कॉलोनी और (iii) संगम श्रेणी में सागौन बागानों के लगभग 18.30 वर्ग किलोमीटर शामिल हैं।

ख. केरल राज्य में परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की उत्तरी सीमा परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व (नेममारा वन संभाग में बफर जोन पैरा II (क) में जी.ओ. (पी) सं. 54/09/ एफ एवं डब्ल्यू एल डी तिरुवंतमपुरम दिनांक 17 दिसंबर 2009) की घोषित बफर जोन की सीमा है। सीमा का विवरण निम्न रुप से है:

सीमा नेल्लियमपथी रिज़र्व वन (नगर माला के निकट और 406 मीटर ऊचांई के साथ पहाड़ी के लगभग 250 मीटर दक्षिण में स्थित) के उत्तरी मुख्य बिंदु से आरंभ होती है और पुलीमाला से होते हुए नेल्लियमपथी रिज़र्व वन सीमा के साथ दक्षिण-पूर्व की ओर जाती है, और गोविंदा माला एस्टेट की पश्चिमी सीमा तक मिलती है। इसके बाद सीमा नेल्लियमपथी रिज़र्व वन सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है यह पुलायामपारा सरकारी फार्म की पश्चिमी सीमा से मिलती है और इसके आगे पुलायामपारा सरकारी फार्म, चंद्रामाला एस्टेट, मानालारु एस्टेट, पोथुंडु एस्टेट, लीली एस्टेट, पुल्लाला एस्टेट, विक्टोरिया एस्टेट की पश्चिमी सीमाओं के साथ दक्षिण- पश्चिम की ओर जाती है और उस बिंदु पर समाप्त

होती है जहां धारा (कारापारा नदी की सहायक नदियां) पुल्लाला माला (144 एम एस एल) की दक्षिणी भाग से आरंभ होकर और दक्षिण की ओर बहती है और काराही एस्टेट की उत्तरी सीमा के साथ मिलती है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा इसके बाद उस बिंदु तक कारापारा ऊपरी धारा के साथ दक्षिण-पूर्व की ओर जाती है जहां मयन मुदी संगम से निकली छोटी धारा कारापारा नदी के साथ मिलती है। इसके बाद सीमा मयन मुदी से आरंभ धारा के साथ पूर्व की ओर जाती है और विक्टोरिया एस्टेट और ओरंटियल एस्टेट के बीच सड़क में समाप्त होती है। सीमा इसके बाद जंक्शन तक एस्टेट सड़क के साथ उत्तर-पूर्व की ओर जाती है जहां विक्टोरिया एस्टेट और वन्नावटी चोला एस्टेट से सड़क मिलती है। इसके बाद सीमा उस बिंदु तक बागपल्लाम धारा के साथ पूर्व की ओर जाती है जहां सूर्या पारा एस्टेट से धारा बागपल्लाम धारा के साथ मिलती है। इसके बाद सीमा उस बिंदु तक सूर्या पारा एस्टेट से नीचे की ओर बहती इस धारा प्रवाह के साथ उत्तर की ओर जाती है जहाँ सूर्यापारा एस्टेट सीमा धारा से मिलती है। इसके बाद सीमा सूर्या पारा एस्टेट की दक्षिणी सीमा के साथ जाती है और 880 मीटर एम एस एल की ऊंचाई के साथ चोटी को छूती है। इसके बाद सीमा चोटी की दक्षिण-पूर्वी ढलान से निकली धारा प्रवाह के साथ जाती है और पांडवा पारा के उत्तर से निकली धारा प्रवाह को छूती है और पूर्व की ओर बहती है। सीमा इसके बाद उस बिंदु तक धारा प्रवाह के साथ पूर्व की ओर जाती है जहां धारा थेक्कडी रिज़र्व वन से बहती हुई धारा प्रवाह के साथ मिलती है। इसके बाद सीमा कचचीथोडु से नीचे की ओर बहती हुई धारा प्रवाह के संगम बिंदु तक धारा प्रवाह के साथ दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद सीमा पुनः कचचीथोडु से होते हुए वारादीकुलम चोटी तक धारा प्रवाह से होते हुए उत्तर-पूर्व की ओर जाती है।

उत्तर-पूर्व: इसके बाद सीमा पुनः उत्तर-पूर्व की ओर पर्वत श्रेणी के साथ जाती है और वलियाचोला एस्टेट और थेक्कदी के बीच सड़क को छूती है। सीमा इसके बाद थेक्कदी सड़क के साथ पूर्व की ओर जाती है उस बिंदु तक जहां चेम्मानामपथी से ट्रैक पथ थेक्कदी सड़क से मिलती है। इसके बाद सीमा उस बिंदु तक ट्रैक पथ के साथ उत्तर-पूर्व की ओर जाती है जहां ट्रैक पथ (पन्नी मुदी चोटी के पूर्वी भाग पर) को पार करके पर्वत श्रेणी को काटती है। सीमा इस बिंदु से पुनः परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के कोर जोन की उत्तरी सीमा के अंतिम बिंदु (कुची माला) को छूकर पर्वत श्रेणी के साथ पूर्व की ओर जाती है।

पूर्व: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा कुचीमाला से केरल और तमिलनाडु के बीच अंतरराज्यीय सीमा के साथ जाती है और पांडारावारामाला, मॉउंट स्ट्रोट और करैनशोला और बेंगोली चोटी से होते हुए जाती है और इसके बाद सेक्कल मुदी (702 एम एल एस) और नाई कुन्नू (1034 एम एल एस) तक होते हुए सीमांकित रेखा से जाती है। यह संपूर्ण पूर्वी सीमा तमिलनाडु में अनामलाई बाघ रिज़र्व के साथ सीमा साझा करती है, इसलिए इस दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है।

दक्षिण-पूर्व: सीमा इसके बाद वरागालीयर से होते हुए और तमिलनाडु और पालघाट और त्रिचूर जिलों के त्रि-जंक्शन तक सीमांकित रेखा के साथ जाती है। (इस भाग की दक्षिण-पूर्वी सीमा तमिलनाडु में अनामलाई बाघ रिज़र्व के साथ सीमा साझा करती है, इसलिए इस दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विस्तार शून्य है) इसके बाद सीमा (पैरा II (सी) में जी.ओ. (पी) सं. 54/09/ एफ एवं डब्ल्यू एल डी तिरुवंतनपुरम दिनांक 17 दिसंबर 2009 द्वारा) परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के घोषित बफर जोन से जाती है। (iii) वझाचल वन संभाग (मलक्कापारा) के शोलायर श्रेणी के भाग की सीमा का विवरण। अधिसूचना में सीमा का विवरण निम्न रुप से है:

सीमा इसके बाद उस बिंदु तक अंतर-राज्यीय सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है जहां शोलायर जलाशय का पूर्वी भाग अंतरराज्यीय सीमा से मिलता है। इसके बाद, सीमा उस बिंदु तक अंतरराज्यीय सीमा के साथ दक्षिण-पूर्व की ओर जाती है जहां मालायट्टूर वन संभाग की उत्तरी सीमा वझाचल वन संभाग की शोलायर श्रेणी की दक्षिण-पूर्व सीमा के साथ मिलती है।

दक्षिण: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा (पैरा II (सी) में जी.ओ. (पी) सं. 54/09/ एफ एवं डब्ल्यू एल डी तिरुवंतनपुरम दिनांक 17 दिसंबर 2009) परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के घोषित बफर जोन से जाती है। (iii) वझाचल वन संभाग (मालाक्कापारा) के शोलायर श्रेणी के भाग की सीमा का विवरण। अधिसूचना में सीमा का विवरण निम्न रुप से है: इसके बाद, सीमा वझाचल वन संभाग के शोलायर श्रेणी की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है और वझाचल वन संभाग के कोल्लाथीरुमेडु श्रेणी और शोलायर श्रेणी के त्रि-जंक्शन और मालायात्तूर वन संभाग (चालाकुडी से अनामलाई तक सड़क पर 51 और 52 मील पत्थर के बीच अनाईकायामकोट्टाई में बिंदु) के इडामलायर श्रेणी पर समाप्त होती है। सीमा इसके बाद अनाकायम पुल से होते हुए चालाक्कुडी-अनामलाई सड़क के साथ पश्चिम की ओर जाती है और पुनः

पोरिंगलकुट्टू बांध तक पोरिंकलकुट्टू जलाशय के दाएं-भाग तट के साथ जाती है। सीमा इसके बाद पोरिंगलकुट्टू बांध के उत्तरी तट के साथ पुनः पूर्व, उत्तर और उत्तर-पश्चिम और करनथोडु तक चालाकुडी नदी के दाएं भाग तट तक जाती है।

दक्षिण-पश्चिम: करनथोडु से, सीमा सागौन बागान से होते हुए यह नीचे की ओर बहते हुए धारा प्रवाह के साथ पश्चिम की ओर जाती है जहां उस बिंदु तक पहुँचती है जहां लक्ष्मीकयट्टम से धारा प्रवाह और अन्य धारा प्रवाह 871 मीटर एम एल एस मिलती है। इसके बाद सीमा धारा प्रवाह के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है, जो कि 552 मीटर एम एल एस की पूर्व पर नीचे की ओर बहती है और 871 मीटर एम एल एस से निकलती है, यह 871 मीटर एम एल एस ऊंचाई बिंदु में रीज़ तक पहुंचती है। इसके आगे सीमा 917 मीटर एम एल एस (पुटाट्टन मुदी) से होते हुए रीज़ के साथ जाती है और इसके अतिरिक्त रीज़ के साथ पश्चिम की ओर जाती है जब तक पुटाट्टन मुदी (842 मीटर एम एल एस और 749 मीटर एम एल एस के बीच और चरपापादम के पश्चिम पर) से निकली सहायक नदी से मिलती है और पुनः उक्त सहायक नदी के साथ जाती है वहाँ तक जहाँ चरपा श्रेणी (कन्ननकुझी थोडु) की पश्चिमी सीमा से मिलती है। सीमा इसके बाद उत्तर और उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है यह बिंदु है जहां छोटी सहायक नदी बिंदु 790 मीटर एम एल एस और 800 मीटर एम एल एस के बीच सैडल बिंदु से आरंभ होकर, कुंदूरमेडू झरने के ऊपरी धारा प्रवाह लगभग 1 किलोमीटर में कन्ननकुझी थोडु के साथ मिलती है। सीमा इसके बाद उपर्युक्त छोटी सहायक नदी के साथ पश्चिम की ओर जाती है और सैडल बिंदु पर रिज़ को पार करके और धारा प्रवाह के साथ पश्चिम की ओर जाती है जो अनापंदन के नीचे की ओर बहती है और पुनः इसके उस बिंदु तक धारा प्रवाह (समानांतर से ट्रामवे रेखा) के साथ पश्चिम की ओर जाती है जहां 838 मीटर एम एल एस और पुनदी मुदी के साथ छोटी पहाड़ी से निकली सहायक नदी मुपीली पुझा के साथ मिलती है।

पश्चिम: सीमा इसके बाद धारा प्रवाह के साथ पश्चिम और उत्तर-पश्चिम से नीचे की ओर बहते हुए धारा प्रवाह के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है यह 838 मीटर एम एस एल और पुंदी मुदी के साथ छोटी पहाड़ी से आरंभ होती है और पुंदी मुदी के पश्चिम 1 किलोमीटर और 838 मीटर एम एस एल के साथ पहाड़ी पूर्व 850 मीटर के बीच सैडल बिंदु पहुंचती है और त्रि-जंक्शन तक चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी और पूर्वी सीमाओं के साथ पूर्व और उत्तर-पूर्व की ओर जाती है जहां चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य, नेममारा वन संभाग की सीमाएं और परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के कोर जोन से मिलती है। सीमा इसके बाद परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के कोर एवं संकटापन्न बाघ वास की पश्चिमी सीमा के साथ पूर्व की ओर पुनः जाती है बिंदु तक है जहां यू टी टी कंपनी एस्टेट की दक्षिण-पूर्व सीमा सीमा से मिलती है।

उत्तर-पश्चिम: इसके बाद सीमा परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के कोर एवं संकटापन्न, बाघ वास की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है उस बिंदु तक जहां नेल्लियमपथी रिज़र्व वन की पश्चिमी सीमा, अलाथूर श्रेणी के प्राकृतिक वनों और यू टी टी कंपनी एस्टेट (इस अवस्थान से निकली थीप्पीलीकयम थोडु की सहायक नदी) की पूर्वी सीमा मिलती है। इसके बाद सीमा थीप्पीलीकयम थोडु से होते थीप्पीलीकयम के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है और कादाप्पारा तक पहुंचती है। इसके बाद सीमा रेंदामपुझा, पोनकनदम, पैदाला, ओलीपारा, थेनगुमपदम, अदीपेरेनदा से होते हुए कादाप्पारा और नेममारा के बीच सड़क के साथ उत्तर और उत्तर-पूर्व की ओर जाती है और पौवचोडू जंक्शन तक पहुंचती है। इसके बाद सीमा अलमपल्लम, मरुदनचेरी, चेट्टीकोलूमबु से पौवाचुवाडू-करीमपारा सड़क के साथ पूर्व की ओर जाती है और करीमपारा जंक्शन (जहां कलचड़ी, चट्टामंगलम, पारायमपल्लम और करीमकुलम से सड़कें मिलती है) में समाप्त होती है। इसके बाद सीमा नेल्लियमपथी रिज़र्व वन की पश्चिमी सीमा को छूती है और आर एफ सीमा के साथ उत्तर-पूर्व, पूर्व और उत्तर की ओर जाती है और आरंभिक बिंदु में समाप्त होती है।

अनुलग्नक – IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र

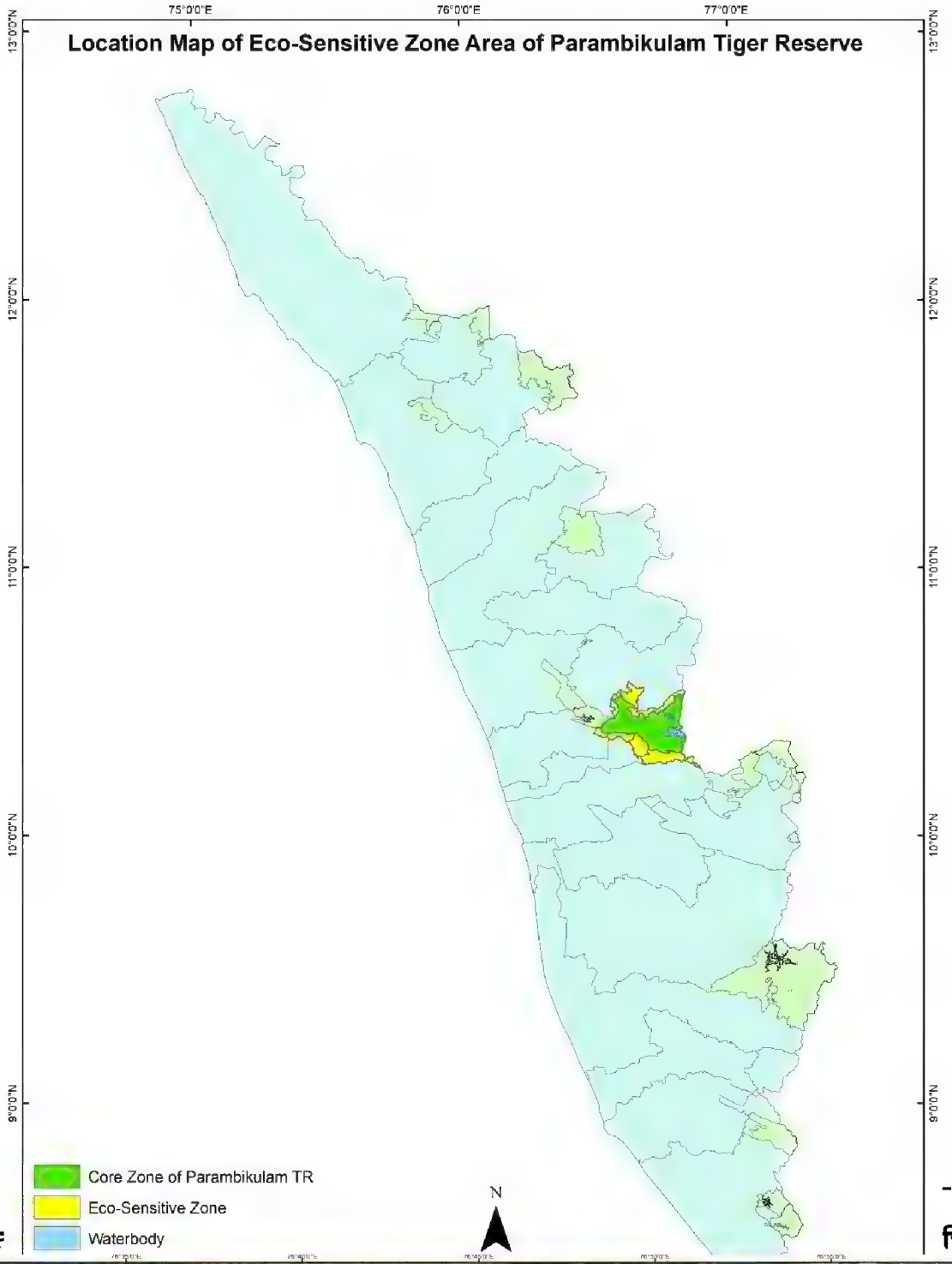

- IIख

मुख्य अवस्

चित्र

अनुलग्नक – IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग पैटर्न मानचित्र

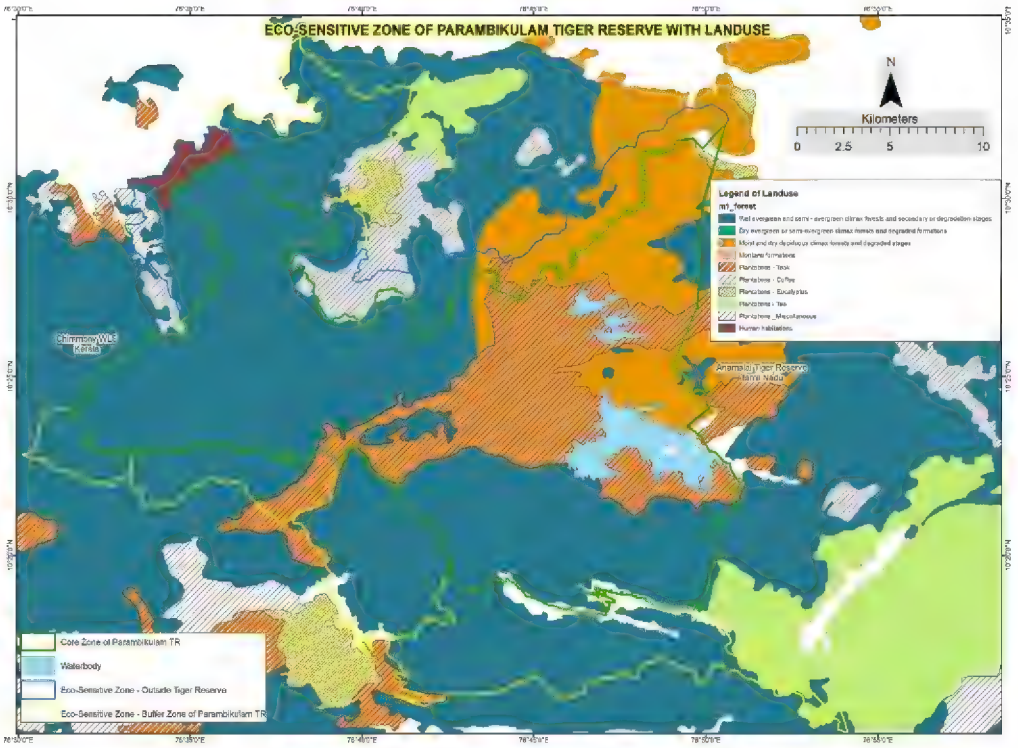

अनुलग्नक – IIघ

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

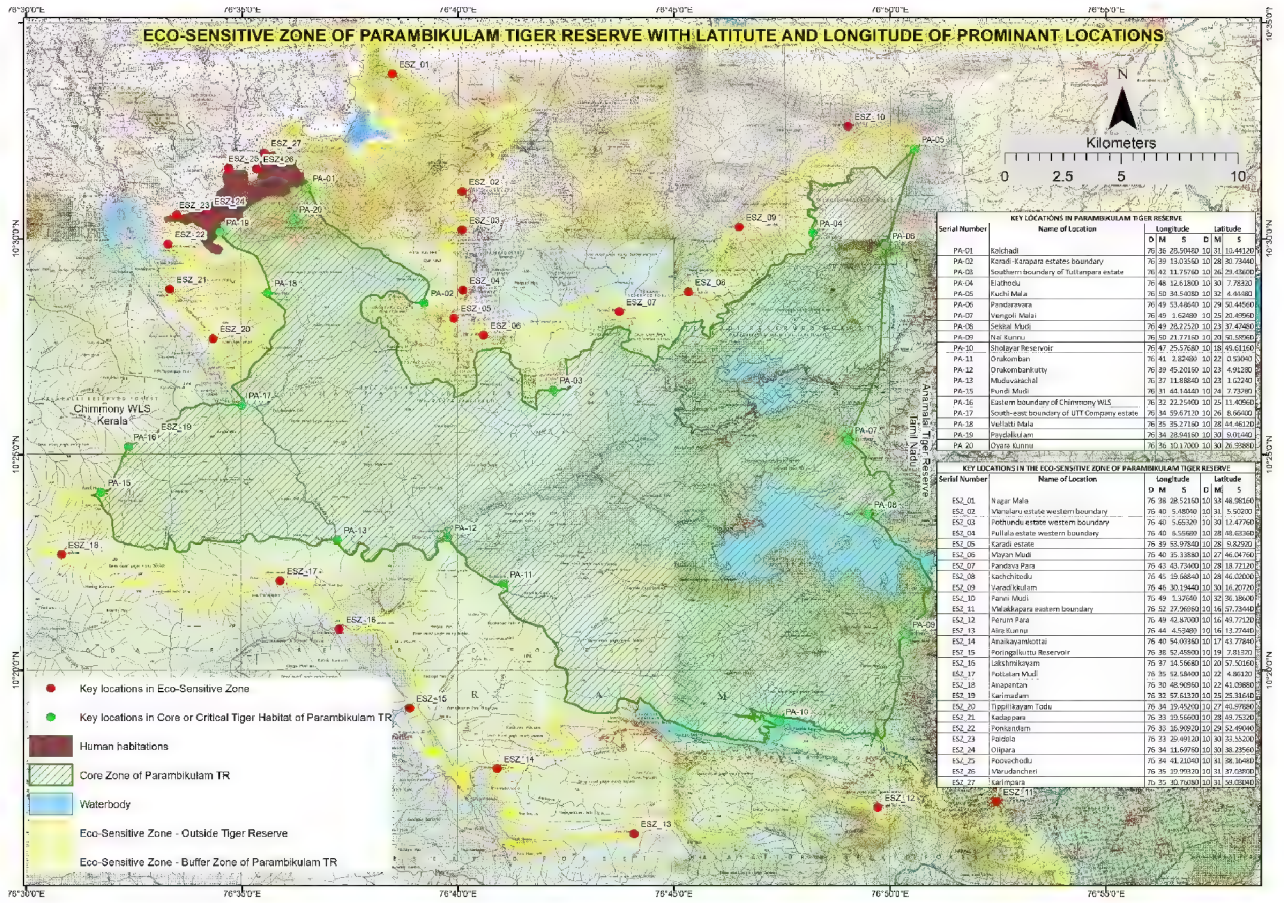

अनुलग्नक -III

सारणी क: परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्रम संख्या	अवस्थान का नाम	देशांतर			अक्षांश		
		डी	एम	एस	डी	एम	एस
पी ए-01	कलचडी	76	36	28.50480	10	31	10.44120
पी ए -02	करादी-कारापारा एस्टेट सीमा	76	39	13.03560	10	28	30.73440
पी ए -03	टुटानपारा एस्टेट की दक्षिणी सीमा	76	42	11.75760	10	26	29.43600
पी ए -04	एलाथोडु	76	48	12.61800	10	30	7.78320
पी ए -05	कुची माला	76	50	34.54080	10	32	4.44480
पी ए -06	पांडारावारा	76	49	53.48640	10	29	50.44560
पी ए -07	वेंगोली मलाई	76	49	1.62480	10	25	20.49960
पी ए -08	सेक्काल मुडी	76	49	28.22520	10	23	37.47480
पी ए -09	नई कुन्नु	76	50	21.77160	10	20	50.58960
पी ए -10	शोलायार जलाशय	76	47	25.57680	10	18	49.61160
पी ए -11	ओरुकोम्बन	76	41	2.82480	10	22	0.53040
पी ए -12	ओरुकोम्बनकुट्टी	76	39	45.20160	10	23	4.91280
पी ए -13	मुदुवाराचल	76	37	11.88840	10	23	1.62240
पी ए -15	पुण्डी मुदी	76	31	44.14440	10	24	7.73280
पी ए -16	चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी सीमा	76	32	22.25400	10	25	11.40960
पी ए -17	यू टी टी कंपनी एस्टेट की दक्षिण-पूर्व	76	34	59.67120	10	26	8.66400

	सीमा						
पी ए -18	वेल्लाट्टी माला	76	35	35.27160	10	28	44.46120
पी ए -19	पायदालकुलम	76	34	28.94160	10	30	9.01440
पी ए -20	ओयारा कुन्नु	76	36	10.17000	10	30	26.93880

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्रम संख्या	अवस्थान का नाम	देशांतर			अक्षांश		
		डी	एम	एस	डी	एम	एस
ईएसजेड_01	नगर माला	76	38	28.52160	10	33	48.98160
ईएसजेड _02	मानालारु एस्टेट पश्चिमी सीमा	76	40	5.48040	10	31	5.50200
ईएसजेड _03	पोथुन्दु एस्टेट पश्चिमी सीमा	76	40	5.65320	10	30	12.47760
ईएसजेड _04	पुल्लाला एस्टेट पश्चिमी सीमा	76	40	6.55680	10	28	48.63360
ईएसजेड _05	करादी एस्टेट	76	39	53.97840	10	28	9.82920
ईएसजेड _06	मयान मुदी	76	40	35.33880	10	27	46.04760
ईएसजेड _07	पांडवा पारा	76	43	43.73400	10	28	18.72120
ईएसजेड _08	कच्चीथोडु	76	45	19.68840	10	28	46.02000
ईएसजेड _09	वरादीक्कुलम	76	46	30.19440	10	30	16.20720
ईएसजेड _10	पन्नी मुदी	76	49	1.37640	10	32	36.18600
ईएसजेड _11	मालाक्कापारा पूर्वी सीमा	76	52	27.96960	10	16	57.73440
ईएसजेड _12	पेरुम पारा	76	49	42.87000	10	16	49.77120
ईएसजेड _13	ऐरा कुन्नु	76	44	4.53480	10	16	13.27440
ईएसजेड _14	अनैकायामकोट्टाई	76	40	54.03360	10	17	43.77840
ईएसजेड _15	पोरिनगालकुट्टू जलाशय	76	38	52.45800	10	19	7.81320
ईएसजेड _16	लक्ष्मीकायम	76	37	14.56680	10	20	57.50160
ईएसजेड _17	पुटाट्टन मुदी	76	35	52.58400	10	22	4.86120
ईएसजेड _18	अनापंदन	76	30	48.90960	10	22	41.09880
ईएसजेड _19	करीमादम	76	32	57.61320	10	25	25.31640
ईएसजेड _20	थीप्पीलीकयम थोडु	76	34	19.45200	10	27	40.97880
ईएसजेड _21	कादाप्पारा	76	33	19.56600	10	28	49.75320
ईएसजेड _22	पोनकानदाम	76	33	16.90920	10	29	52.49040
ईएसजेड _23	पौदाला	76	33	29.49120	10	30	33.55200
ईएसजेड _24	ओलीपारा	76	34	11.69760	10	30	38.23560
ईएसजेड _25	पूवाचोडु	76	34	41.21040	10	31	38.16480
ईएसजेड _26	मरुदनचेरी	76	35	19.99320	10	31	37.03800
ईएसजेड _27	करीमपारा	76	35	30.76080	10	31	59.03040

अनुलग्नक -IV

क: केरल के थ्रिस्सूर जिला में भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन (परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व के घोषित बफर जोन में) के अंतर्गत आने वाली मानव बस्तियों/ग्रामों की सूची

क्र. सं.	तहसील/तालुक	राजस्व ग्राम नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या	जी पी एस	
					अक्षांश	देशांतर
1	मुकुन्दापुरम	शोलायर पॉवर हाउस	43	65	10.310788	76.741765
2	मुकुन्दापुरम	थवालाकुज़हीपारा	39	133	10.288795	76.678477
3	मुकुन्दापुरम	मालाक्काप्पारा	43	146	10.288055	76.872512
4	मुकुन्दापुरम	अनाकायम	13	42	10.303952	76.728672

ख: केरल के पालाक्कड़ जिला में परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व (नेममारा वन संभाग बाहरी बाघ रिज़र्व सीमा के अलाथूर श्रेणी में) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाली आदिवासी बस्तियों/ग्रामों की सूची

क्र. सं.	तहसील/तालुक	राजस्व ग्राम नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या	जी पी एस	
					अक्षांश	देशांतर
1	चित्तूर	कलचड़ी	40	139	10.52131	76.60316
2	अलाथुर	काडाप्पारा	18	59	10.47126	76.56367
3	अलाथुर	थलीकाक्कल्लु	36	140	10.45548	76.57654

ग: केरल में पालाक्कड़ में परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व (नेममारा वन संभाग बाहरी बाघ रिज़र्व सीमा के अलाथूर श्रेणी में) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली अन्य बस्तियों की सूची

क्र. सं.	तहसील/तालुक	राजस्व ग्राम नाम	परिवारों की संख्या	जनसंख्या	जी पी एस	
					अक्षांश	देशांतर
1	चित्तूर	करीमपारा	20	80	10.53019	76.59239
2	चित्तूर	चेत्तीकुलाम्बु	35	140	10.53055	76.59275
3	चित्तूर	मरुदनचेरी	40	160	10.52620	76.59048
4	चित्तूर	अलामपल्लाम	40	160	10.52501	76.58381
5	चित्तूर	चेवुनी	55	220	10.52984	76.59996
6	चित्तूर	निरानगनपारा	15	60	10.52620	76.60181
7	चित्तूर	पोवाचुवाडु	80	320	10.52620	76.57815
8	चित्तूर	अदीपेरान्दा	80	320	10.52477	76.57618
9	चित्तूर	पूनजेरी	35	140	10.52405	76.60163
10	चित्तूर	ओवुपारा	40	160	10.51130	76.58339
11	चित्तूर	मदाकोलाम्बु	20	80	10.51786	76.57940
12	चित्तूर	थेनगुम्पादम	90	360	10.51309	76.57809
13	चित्तूर	ओलीपारा	50	200	10.51166	76.57195
14	अलाथुर	पैदाला	40	160	10.50969	76.56444
15	अलाथुर	मंगलागिरी	40	160	10.50785	76.55372
16	अलाथुर	पोनकानदम	50	200	10.49783	76.55616
17	अलाथुर	पुथानगोडे	20	80	10.49259	76.56385

18	अलाथुर	नेट्टीलाथोड्डु	20	80	10.48186	76.55735
19	अलाथुर	कोदमनपुज़्हा	10	40	10.47817	76.55902
20	अलाथुर	कदाप्पारा	70	280	10.47114	76.57094
			850	3400		

घ: केरल के पालाक्कड़ जिला में परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व (नेममारा वन संभाग बाहरी बाघ रिज़र्व सीमा के नेल्लियमपथी और कोल्लेंगोडे श्रेणियों में) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली मानव बस्तियों/ग्रामों की सूची

क्र. सं.	तहसील/तालुक	ग्राम नाम	ग्राम के प्रकार	परिवारों की संख्या	जनसंख्या	जी पी एस	
						अक्षांश	देशांतर
1	चित्तूर	अल्लीमौप्पन कॉलोनी, थेक्कडी	राजस्व	79	362	10.522714	76.795385
2	चित्तूर	30 एकड़ कॉलोनी, थेक्कडी	राजस्व	70	242	10.518786	76.798003
3		कचीथोडे		7	42		

अनुलग्नक -V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार)। विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।]
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2021

S.O. 440(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 2637(E), dated 28th July, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Parambikulam Tiger Reserve located between 76° 30' 6.79" E and 10° 15' 1.78" N and 76° 54' 8.19" E and 10° 34' 36.94" N was declared as a Tiger Reserve with an extent of 643.66 square kilometers. The core zone of the Tiger Reserve is located in Chittur Taluk of Palakkad district and Mukundapuram Taluk of Thrissur District while the buffer zone is located in Chittur Taluk of Palakkad District and Mukundapuram, Alathur Taluks of Thrissur District in the State of Kerala. Of the total area, an extent of 390.89 square kilometers has been declared *vide* notification No. GO (P) No. 53/2009/F&WLD dated 16th December 2009 as the core or critical tiger habitat and 252.77 square kilometers as the buffer zone of the Tiger Reserve. Core area of the Parambikulam Tiger Reserve includes 245.128 square kilometers of Parambikulam Wildlife Sanctuary, 42.99 square kilometers of Nemmara Forest Division, 60.53 square kilometers of Vazhachal Forest Division and 42.24 square kilometers of Chalakudy Forest Division. Buffer zone of the Tiger Reserve declared *vide* Notification No. GO (P) -54/2009/F&WLD dated 17th December 2009 includes 39.87 square kilometers under Parambikulam Wildlife Sanctuary, 46.27 square kilometers as Nemmara Forest Division, 11.41 square kilometers as Chalakkudy Forest Division, 155.22 square kilometers as Vazhachal Forest Division. Parambikulam Tiger Reserve is a well-protected ecological part of the Nelliampathy - Anamalai sub unit of the Western Ghats and is buffered by ecologically similar forests of other Forest Divisions and Protected Areas of Kerala and Tamil Nadu. The Tiger Reserve is a vital component of the Anamudi Elephant Reserve (4163.73 square kilometers);

AND WHEREAS, Parambikulam Tiger Reserve supports diverse habitat types *viz*., evergreen forests, moist and dry deciduous forests, grasslands etc. Other unique habitats like montane grasslands and marshy grasslands (locally known as '*vayals*') are extensively found in the Tiger Reserve. Considerable extent of man-made teak plantations and the deep freshwater ecosystem (reservoirs) created by the construction of three dams add to the diversity of the Tiger Reserve. The major rare, endangered and threatened plant species available in the Tiger Reserve are *Strobilanthes dupenii, Semecarpus auriculata, Solenocarpus indicus, Mitrephora grandiflora, Orophea uniflora, Sageraea laurifolia, Tabernaemontana gamblei, Amorphophallus hohenackeri, Arisaema attenuatum, Arisaema murrayi, Pothos thomsonianus, Aralia malabarica, Ceropegia maculata, Ceropegia omissa, Impatiens acaulis, Impatiens dasysperma, Impatiens viridiflora, Impatiens wightiana, Haplothismia exannulata, Lasianthus rostratus, Mycetia acuminata, Ochreinauclea missionis, Ophiorrhiza brunosis, Psychotria globicephala, Tarenna monosperma, Euodia lunu-ankenda, Vepris bilocularis, Allophylus concanicus, Madhuca bourdillonii, Smilax wightii, Premna glaberrima, Amomum microstephanum, Boesenbergia pulcherrima,* etc;

AND WHEREAS, the Parambikulam Tiger Reserve supports healthy population of several endangered fauna. The presence of tigers and other co-predators in the landscape emphasizes the ecological importance of this region. Most of the herbivore species of the Western Ghats *viz*., Asian elephant, guar, spotted deer, sambar and barking deer (Muntjac) are found here. The major fauna of the Tiger Reserve includes Nilgiri langur (*Presbytis johni),* lion tailed macaque (*Macaca silenus),* slender loris (*Loris tardigradus),* tiger (*Panthera tigris),* leopard (*Panthera pardus),* Indian elephant (*Elephas maximus),* the gaur (*Bos gaurus),* Nilgiri tahr (*Hermitragus hylocrius),* mouse deer (*Tragulus meminna),* Indian pangolin (*Manis crassicaudata),* leopard cat (*Felis bengalensis),* sloth bear (*Melursus ursinus),* Bonnet macaque (*Macaca radiata),* common langur (*Presbytis entellus),* jungle cat (*Felis chaus),* small Indian civet (*Viverricula indica),* Indian wild dog (*Cuon alpinus),* common otter (*Lutra lutra),* Nilgiri marten (*Martes gwatkinsi),* Indian giant squirrel (*Ratufa indica),* flying squirrel (*Petaurista philippensis),* spotted deer (*Axis axis),* sambar (*Cervus unicolor),* barking deer (*Muntiacus muntjak),* Indian wild boar (*Sus scrofa),* ruddy mongoose (*Herpestus smithi),* brown mongoose (*Herpestus fuscus),* stripe - necked mongoose (*Herpestes vitticollis),* blacknaped hare (*Lepus nigricollis nigricollis),* Indian porcupine (*Hystrix indica),* fruit bat (*Rousettus leschenaulti),* bandicoot rat (*Bandicota indica),* common house rat (*Rattus rattus),* toddy cat (common palm civet) (*Paradoxurus*

hermaphroditus), three stripped palm squirrel (Funambulus palmarum), dusky stripped squirrel (*Funambulus sublineatus),* grey musk shrew (*Suncus murinus),* small travancore flying squirrel (*Petinomys fuscocapillus),* dusky stripped squirrel (*Funambulus sublineatus),* etc;

AND WHEREAS, Parambikulam Tiger Reserve has rich and diversified avifauna and a total number of 274 species of birds are reported from the Tiger Reserved. The construction of three dams in the Tiger Reserve has created a new aquatic habitat attracting several species of water birds that were not originally seen in this area. Among the avifauna, 144 species are residents, 48 species are long distance migrants, 96 species are local migrants and the status of 42 species needs confirmation. The avifaunal significance of this sanctuary is highlighted by the presence of 15 bird species out of the 39 bird species endemic to Western Ghats. Some of the important birds of the Tiger Reserve are great white bellied heron (*Ardea insignis*), white stork (*Ciconia ciconia*), lesser adjutant stork (*Leptopilos javanicus*), black crested beza (*Aviceda leuphotes*), small pratincole (*Glareola lactea*), river tern (*Sterna aurantia*), peninsular bay owl (*Podilus badius ripleyi*), Malabar pied hornbill (*Anthracoceros coronatus*), great pied hornbill (*Buceros bicornis*), great black woodpecker (*Dryocopus javenicus*), hair crested drongo (*Dicrurus hottentottus*), fairy blue bird (*Irena puella*), etc;

AND WHEREAS, Parambikulam Tiger Reserve supports one of the highest densities of Gaur population in Southern India. The only South Indian wild goat, the Nilgiri tahr is found on the high-altitude rocky hills and grasslands in the Tiger Reserve. A healthy population of about 250-300 lion-tailed macaques among other primates and arboreal animals are found here. Rodents like Malabar giant squirrel and flying squirrel are among the important arboreal animals. Significant population of resident and migratory avifauna of about 273 species makes the Reserve a bird watcher's paradise. Among the aquatic fauna, crocodiles, otters, freshwater fish especially Mahseer (an endemic game fish) are worth mentioning. The Reserve is also home for several rare small animals like Tarantula (large bodied spiders);

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Parambikulam Tiger Reserve which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 10.09 kilometres around the boundary of Parambikulam Tiger Reserve, in Palakkad and Thrissur Districts in the State of Kerala as the Parambikulam Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of the Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 10.09 kilometres around the boundary of Parambikulam Tiger Reserve and the area of the Eco-sensitive Zone is 331.352 square kilometres. The extents of Eco-sensitive Zone at various direction of the Tiger Reserve are given below:

Directions	Minimum	Maximum
North	0.75 Kilometer (in private tea estate 1.00 Kilometer (in natural forest)	2.00 Kilometer (in private tea estate) 2.32 Kilometer (in natural forest)
North – East	NA	Zero kilometer (Share boundary with adjoining Tiger Reserve in Tamil Nadu)
East	NA	Zero kilometer (Share boundary with adjoining Tiger Reserve in Tamil Nadu)
South – East	2.95 Kilometer (in natural forest)	10.09 Kilometer (in natural forest)
South	1.75 Kilometer (in natural forest)	6.75 Kilometer (in natural forest)
South – West	1.00 Kilometer (in natural forest)	2.00 Kilometer (in natural forest)
West	0 Kilometer (share boundary with Chimmony WLS) 0.45 Kilometer (in human settlements)	1.76 Kilometer (in human settlements) 3.24 Kilometer (in natural forest)
North – West	NA	8.32 Kilometer (entirely natural forest)

Zero extent of Eco-sensitive Zone was justified by the State Government as "*Zero extent of Eco-sensitive Zone on the north-west and east directions (the Core Zone of Parambikulam) are due to shares boundary with adjoining Anamalai Tiger Reserve.*

Similarly, zero extent of Eco-Sensitive Zone for an extent of 8.5 kilometers length along the western boundary of Core Zone of Parambikulam Tiger Reserve is due to share its boundary with Chimmony Wildlife Sanctuary.

Zero extent of Eco-Sensitive Zone on the north-east, east and south-east (around 31 kilometers) directions of the Parambikulam Tiger Reserve is due to shared its boundary with Tiger Reserve in Tamil Nadu.

(2) The boundary description of Parambikulam Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone is appended in Table **A** and Table **B** of **Annexure-I.**

(3) The maps of the Parambikulam Tiger Reserve demarcating the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB**, **Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Parambikulam Tiger Reserve and the Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages/settlement areas falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Local Self Government Department;
(xi) Panchayati Raj;
(xii) Kerala State Pollution Control Board; and
(xiii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National

Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any	Prohibited.

	hazardous substances.	
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
7.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and	Regulated under applicable laws (underground cabling may

	communication towers and laying of cables and other infrastructures.	be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.

39.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	The District Collector, Palakkad or his representative	Chairman, ex officio;
(ii)	The Member of Legislative Assembly, Nemmara	Member;
(iii)	The Member of Legislative Assembly, Chalakudy	Member;
(iv)	District Panchayath President, Palakkad	Member;
(v)	Representative of the Department of Environment, Government of Kerala	Member;
(vi)	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vii)	Kerala State Pollution Control Board, District Officer, Palakkad	Member;
(viii)	Member State Biodiversity Board	Member;
(ix)	Deputy Director, Parambikulam Tiger Reserve	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/170/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

A. BOUNDARY DESCRIPTION OF PARAMBIKULAM TIGER RESERVE IN THE STATE KERALA

North: The boundary commences from a point on the Nelliyampathy Reserve Forest Boundary at the South east corner of Kalchadi (400m. south) and proceeds towards south-east along a stream that flows down from south-west slope of Pullala Mala and till it reaches the saddle point and further along another stream that originates on the south slope of Pullala Mala and ends at a point where the stream and the northern boundary of Karadi estate merges. Thence the boundary proceeds along the northern and western boundary of Karappara Estate and western boundary of Beatrice Estate and ends at the point where western boundary of Beatrice Estate meets the northern boundary of Parambikulam Wildlife Sanctuary. Thence the boundary proceeds towards east along the northern boundary of Parambikulam Wildlife Sanctuary till Kuchimala located on the north-east corner of Parambikulam Wildlife Sanctuary.

East: Thence along the inter-state boundary between Kerala and Tamil Nadu from Kuchimala and passing Pandaravaramala, Mount Stuart and Kariyanshola and Vengolimala peak and thence through the demarcated line passing Varagaliar and upto the tri-junction of Palghat and Trichur districts and Tamil Nadu. The boundary proceeds towards south along the inter-state boundary and ends at a point where eastern part of Sholayar Reservoir meets the inter-state boundary.

South: Thence the boundary proceeds towards west along the northern bank of Sholayar Reservoir and continues along the northern bank Sholai Ar till it reaches the eastern boundary of Vazhachal Range of Vazhachal Division. The boundary thence proceeds towards north along the eastern boundary of Vazhachal Range of Vazhachal Division (along the Sholai Ar) till a point where the north-western corner of the Sholayar Range of Vazhachal Division meets the southern boundary of Parambikulam Wildlife Sanctuary near Orukomban. Thence proceeds towards west along the southern boundary of Parambikulam Wildlife Sanctuary till the point where the tramway line crosses the Karappara river at Mudarachal. Thence the boundary proceeds towards west along the southern boundary of Kavala Section and ends at Kavala.

West: Thence the boundary proceeds towards north along a stream that comes down from Pundi Mudi (1116m MSL) and ends on the southern boundary of Chimmony Wildlife Sanctuary at Pundi Mudi peak. Thence it runs in north-eastern direction along the boundary between Chimmony Wildlife Sanctuary and Vellikulangara Range till it touches the tri-junction where Chimmony Wildlife Sanctuary, Vellikulangara Range and Alathur Range meet. Thence the boundary further proceeds towards east along the northern boundary of Vellikulangara Range and ends at a point where south west boundary of Padagiri section of Nelliyampathy Range, South east boundary of UTT company East and the northern boundary of Vellikulangara Range converge. Thence the boundary proceeds towards north along the western boundary of Nelliyampathy Range and ends at the starting point.

Excluded area – Within the above boundary, an extent of 39.872 Sq. Km. is excluded from the Core or Critical Tiger Habitat which includes (i) 20.659 Sq. Km. of reservoirs of Parambikulam (17.570 Sq. Km.) and Thunakadavu and Peruvaripallam (3.089 Sq. Km); (ii) 0.913 Sq. Km. which includes tribal settlement (34.3 Ha) and a buffer of 100m. from the periphery of the settlements 57 Ha) i.e. Sungam (3.07 Ha + 9 Ha). Pooppara (24 Ha + 21 Ha), fifth colony (1.38 Ha + 7 Ha), Kuriarkutty (5.09 Ha + 10 Ha), Earth Dam Colony at Parambikulam (0.33 Ha + 5 Ha) and Kadar Colony at Parambikulam (0.40 Ha + 5 Ha) and (iii) about 18.30 Sq. Km. of Teak plantations in Sungam Range.

B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND PARAMBIKULAM TIGER RESERVE IN THE STATE KERALA

North: The northern boundary of the Eco-Sensitive Zone is the boundary of the declared buffer of zone of Parambikulam Tiger Reserve (vide G.O.(P) No. 54/09/F&WLD dated Thiruvananthapuram 17th December 2009 in para II (a) Buffer Zone within Nemmara Forest Division). The boundary description is as follows:

The boundary commences from the northern most point of Nelliampathy Reserve Forest (near Nagar Mala and situated at about 250 m. south of a hill with 406 m. height) and proceeds towards south-east along the Nelliampathy Reserve Forest boundary through Pulimala, till it meets the western boundary of Govinda Mala estate. Thence the boundary proceeds towards south along the Nelliampathy Reserve Forest boundary till it meets the western boundary of Pulayampara Government Farm and further proceeds towards south- west along the western boundaries of Pulayampara Government Farm, Chandramala estate, Manalaru estate, Pothundu estate, Lily estate, Pullala estate, Victoria estate and ends at a point where a stream (a tributory of Karapara River) that originates from southern side of Pullala Mala (1444 MSL) and flowing down towards south and merges with the northern boundary of Karadi estate.

The boundary of Eco-Sensitive Zone thence proceeds towards south-east along the Karapara upstream upto a point where a small stream originating from Mayan Mudi confluences with Karappara river. Thence the boundary proceeds towards east along the stream originating from Mayan Mudi and ends at the road between Victoria estate and Oriental estate. The boundary thence proceeds towards north-east along the estate road upto the junction where the roads from Victoria estate and Vannatti chola estate meets. Thence the boundary runs towards east along the Bagapallam stream upto a point where a stream from Surya Para estate confluences with Bagappallam stream. Thence the boundary proceeds towards north along this stream flowing down from Surya Para estate upto a point where the Surya Para estate boundary meets the stream. Thence the boundary runs along the southern boundary of Surya Para estate and touches the peak with a height of 880 m MSL. Thence the boundary proceeds along the stream that originates from the south-eastern slope of the peak and touches the stream that originates on the north of Pandava Para and flows towards east. The boundary thence proceeds towards east along the stream upto a point where the stream confluences with the stream flowing through Thekkady Reserved Forest. Thence the boundary proceeds towards south east along the stream upto a confluence point of a stream flowing down from Kachchithodu. Thence the boundary continues towards north-east following the stream upto Varadikulam peak via Kachchithodu.

North-East: Thence the boundary continues along the hill ridge running towards north-east and touches the road between Valiyachola estate and Thekkadi. The boundary thence proceeds towards east along the Thekkady road till a point where a trek path from Chemmanampathy meets Thekkady road. Thence the boundary runs towards north-east along the trek path upto a point where the hill ridge cuts across the trek path (on the eastern side of Panni Mudi peak). The boundary continues from this point towards east along the hill ridge to touch the end point (Kuchi Mala) of Northern boundary of Core zone of Parambikulam Tiger Reserve.

East: The eastern boundary of Eco-Sensitive Zone running along the inter-state boundary between Kerala and Tamil Nadu from Kuchimala and passing Pandaravaramala, Mount Stuart and Karianshola and Vengoli peak and thence through the demarcated line passing Sekkal Mudi (702 MLS) and upto Nai Kunnu (1034 MLS). This entire eastern boundary shares the boundary with Anamalai Tiger Reserve in Tamil Nadu, hence the extent of Eco-Sensitive Zone in this direction is Zero.

South-East: The boundary thence runs along the demarcated line passing Varagaliyar and upto the tri-junction of Palghat and Trichur Districts and Tamil Nadu (upto this part of south- eastern boundary shares the boundary with Anamalai Tiger Reserve in Tamil Nadu, hence the extent of Eco-Sensitive Zone in this direction is Zero). Thence the boundary follows the declared buffer of zone of Parambikulam Tiger Reserve (vide G.O.(P) No. 54/09/F&WLD dated Thiruvananthapuram 17th December 2009 in para II (c) (iii) Boundary description of part of Sholayar Range of Vazhachal Forest Division (Malakkapara). The boundary description in the notification is as follows:

The boundary thence proceeds towards further south along the inter-state boundary upto at a point where easter part of Sholayar Reservoir meets the inter-state boundary. Thence, the boundary proceeds towards south-east along the inter-state boundary upto a point where northern boundary of Malayattur Forest Division meets with the south-east boundary of Sholayar Range of Vazhachal Forest Division.

South: The southern boundary of Eco-Sensitive Zone follows the declared buffer of zone of Parambikulam Tiger Reserve (vide G.O.(P) No. 54/09/F&WLD dated Thiruvananthapuram 17th December 2009 in para II (c) (iii) Boundary description of part of Sholayar Range of Vazhachal Forest Division (Malakkapara). The boundary description in the notification is as follows: Thence, the boundary proceeds towards west along the southern boundary of Sholayar Range of Vazhachal Forest Division and ends at the tri-junction of Kollathirumedu Range and Sholayar Range of Vazhachal Forest Division, and Edamalayar Range of Malayattur Forest Division (a point at Anaikayamkottai – between 51st and 52nd mile stones on the road from Chalakkudy to Anamalai). The boundary thence proceeds towards west along the Chalakkudy- Anamalai road through Anakayam bridge and continues along the right-side bank of Porinkalkuttu Reservoir upto Poringalkuttu Dam. The boundary thence continues towards east, north and north-west along the northern bank of Poringalkuttu Dam and right-side bank of Chalakkudy River upto Karanthodu.

South-West: From Karanthodu, the boundary proceeds towards westk along a stream that flows down through through the teak plantation till it reaches a point where the stream from Lakshmikayattam and another stream originating from 871 m. MLS meet. Thence the boundary proceeds towards north-west along the stream, which flows down on the east of 552 m. MLS and originates from 871 m. MLS, till it reaches ridge at a point having a height 871 m. MLS. Further the boundary proceeds along the ridge through 917 m. MLS (Putattan Mudi) and further proceeds towards west along the ridge till it meets the tributary that originates from Putattan Mudi (between 842 m. MLS and 749 m. MLS and on the west of Charpapadam) and continues along the said tributary till it meets the western boundary of Charpa Range (Kannankuzhi Thodu). The boundary thence proceeds towards north and north-west till a point where where a small tributary, originating from a saddle point between points 790 m. MLS and 800 m. MLS, meets with Kannankuzhi Thodu at about 1 km. upstream of Kundurmedu Falls. The boundary thence proceeds towards west along the above said small tributary and corsses the ridge on the saddle point and proceeds further west along the stream that flows down towards Anapandan and continues further west along the stream (parallel to tramway line) upto a point where a tributary originating from a hillock with 838 m. MLS and Pundi Mudi that merges with Mupili Puzha.

West: The boundary thence proceeds towards north-west along the stream flowing down from west and north-west along the stream that originates from the hillock with 838 m. MSL and Pundi Mudi and reaches a saddle point between 850 m. east of a hill with 838 m. MSL and 1 km. west of Pundi Mudi and proceeds towards east and north-east along the southern and eastern boundaries of Chimmony Wildlife Sanctuary upto the tri-junction where boundaries of Chimmony Wildlife Sanctuary, Nemmara Forest Division and core zone of Parambikulam Tiger Reserve meet. The boundary thence continues towards east along the western boundary of core or critical tiger habitat of Parambikulam Tiger Reserve till a point where the south-east boundary of UTT Company estate meets the boundary.

North-West: Thence the boundary runs towards north along the western boundary of core or critical tiger habitat of Parambikulam Tiger Reserve till a point where western boundary of Nelliampathy Reserve Forest, natural forests of Alathur Range and eastern boundary of UTT Company estate meet (a tributary of Thippilikayam Thodu originates from this location). Thence the boundary proceeds towards north-west along the Thippilikayam Thodu via Thippilikayam and reach upto Kadappara. Thence the boundary proceeds towards north and north-east along the road between Kadappara and Nemmara through Rendampuzha, Ponkandam, Paidala, Olipara, Thengumpadam, Adiperenda and reach upto Poovachodu Junction. Thence the boundary proceeds towards east along Poovachuvadu-Karimpara road via Alampallam, Marudancheri, Chettikolumbu and ends at Karimpara Junction (where the roads from Kalchadi, Chattamangalam, Parayampallam and Karimkulam meet). Thence the boundary touches the western boundary of Nelliampathy Reserve Forest and proceeds towards north-east, east and north along the RF boundary and ends at the starting point.

ANNEXURE-IIA

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PARAMBIKULAM TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

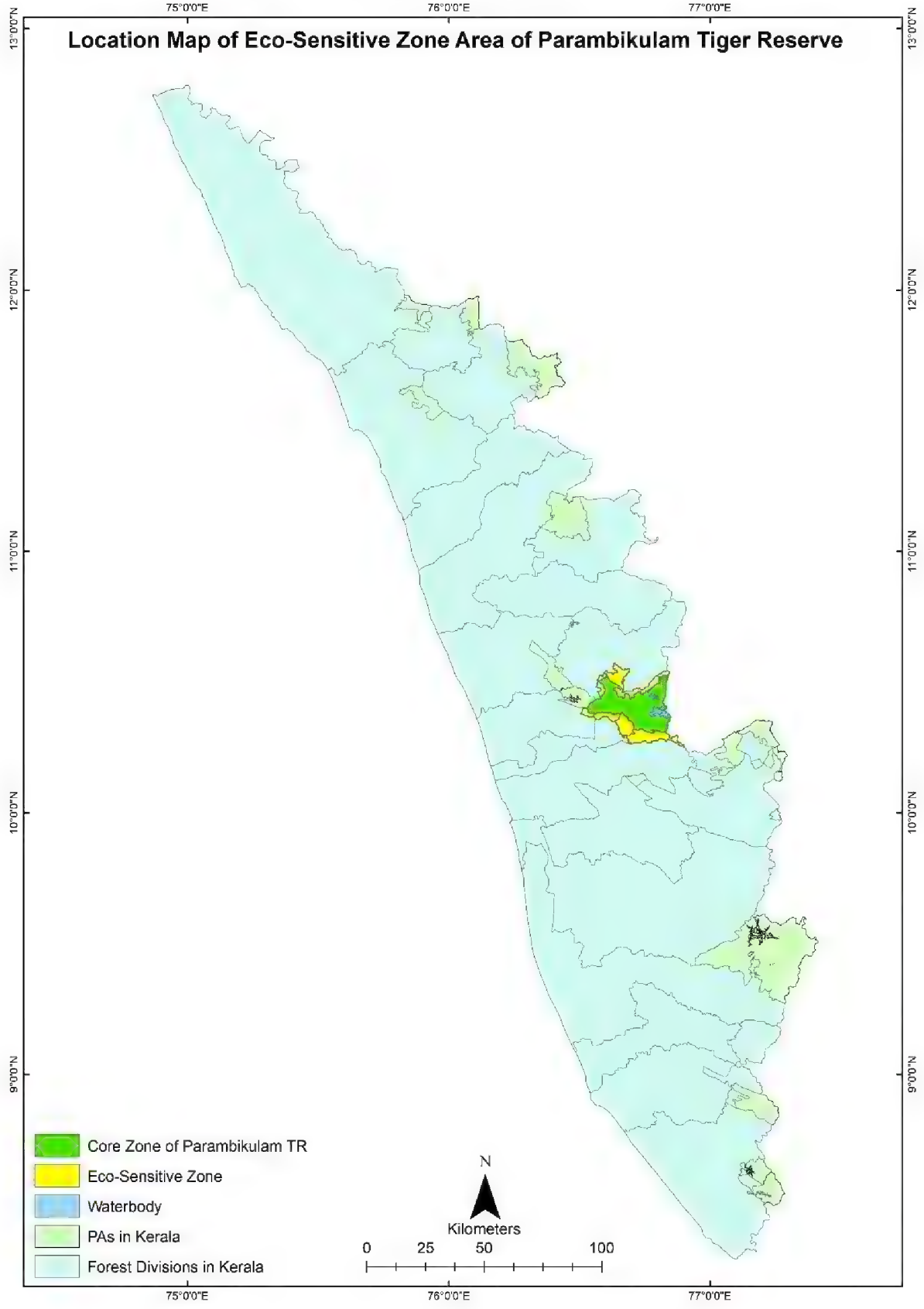

ANNEXURE- IIB

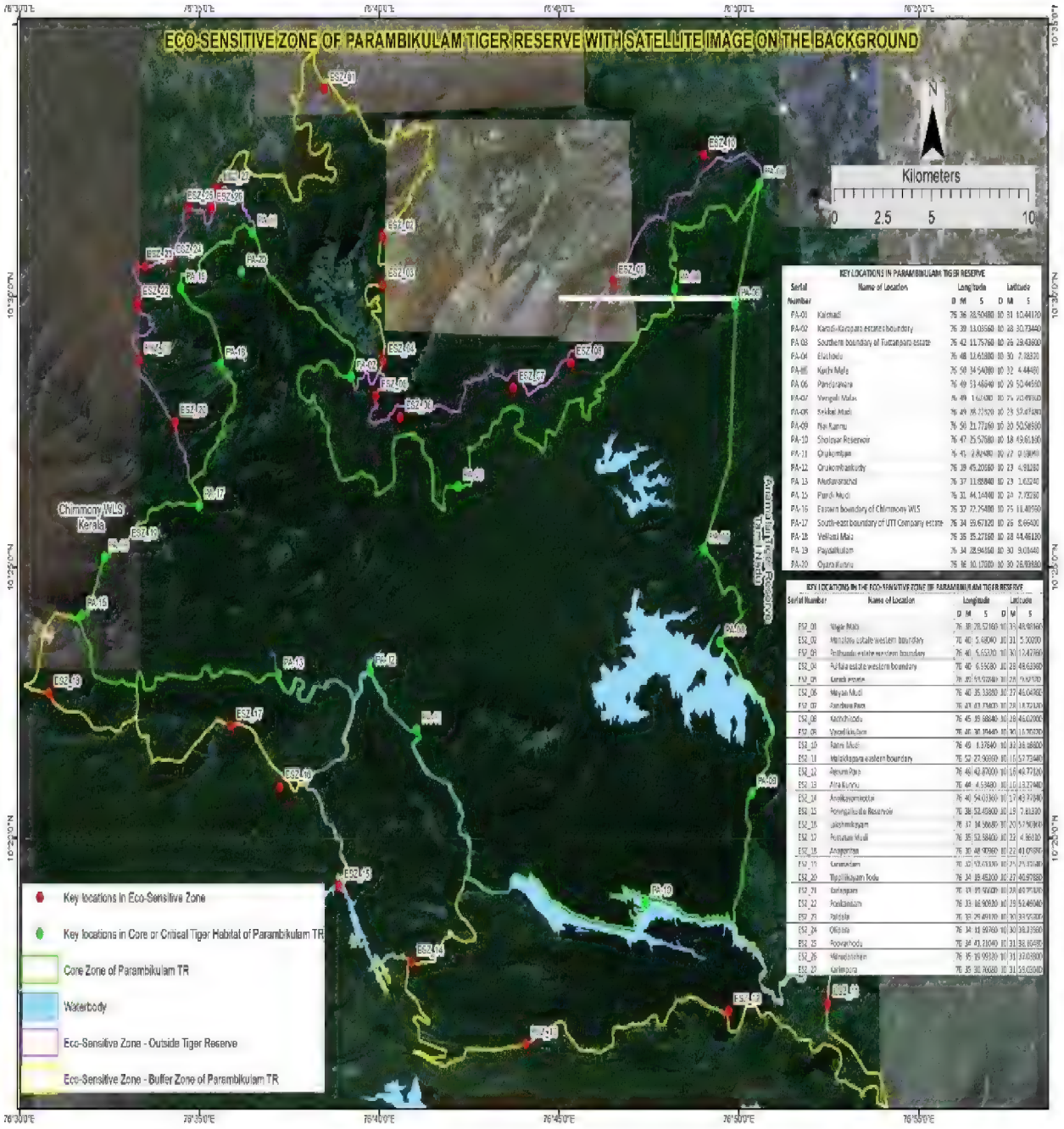

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PARAMBIKULAM TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

ANNEXURE- IIC

LANDUSE PATTERN MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PARAMBIKULAM TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

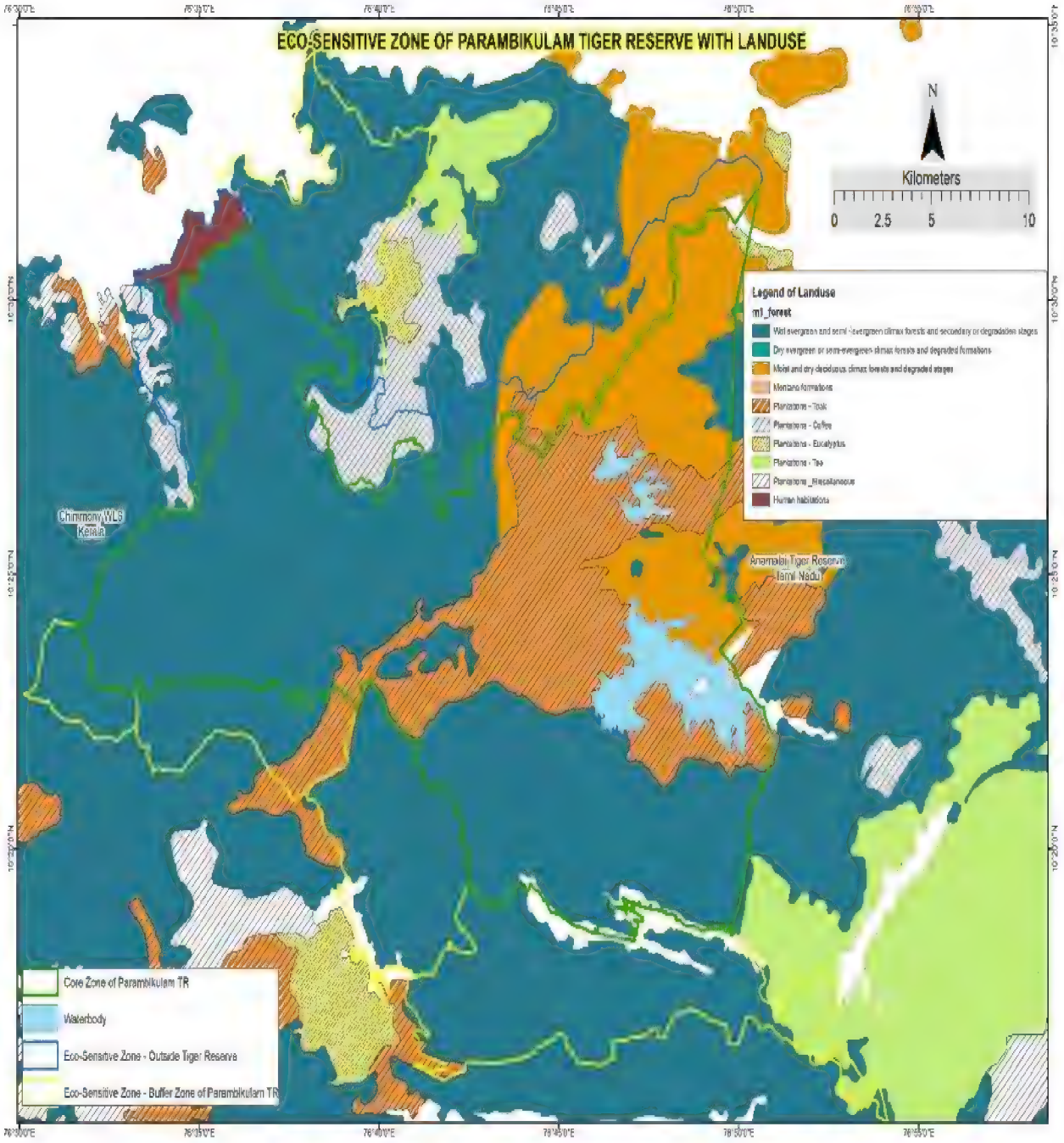

ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PARAMBIKULAM TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

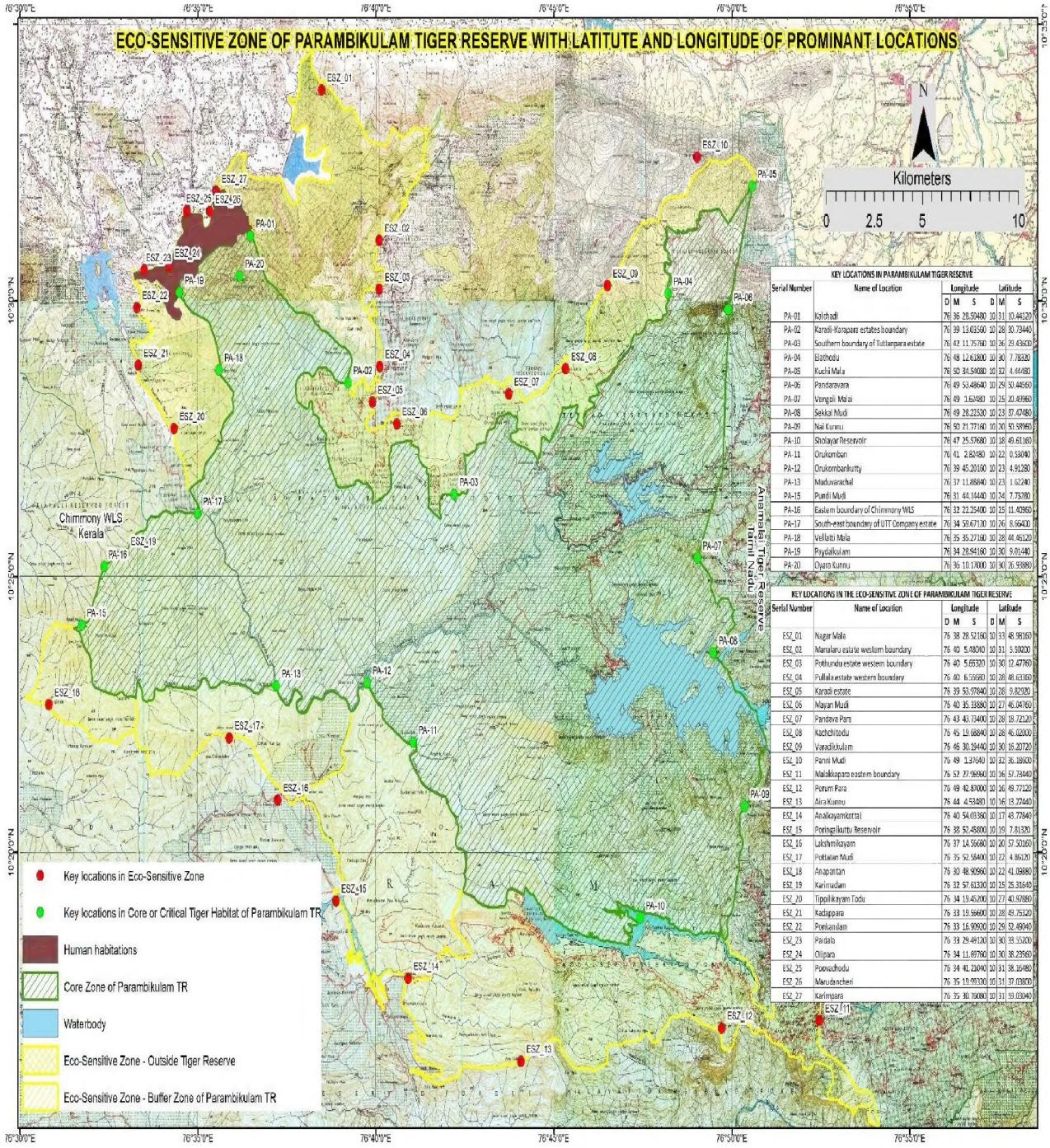

KEY LOCATIONS IN PARAMBIKULAM TIGER RESERVE

Serial Number	Name of Location	Longitude D	M	S	Latitude D	M	S
PA-01	Kalchadi	76	36	28.50480	10	31	10.44120
PA-02	Karadi-Karapara estates boundary	76	39	13.03560	10	28	30.73440
PA-03	Southern boundary of Tuttampara estate	76	42	11.75760	10	26	29.43600
PA-04	Elathodu	76	48	12.61800	10	30	7.78320
PA-05	Kuchi Mala	76	50	31.50480	10	32	4.44480
PA-06	Pandarawara	76	49	53.48640	10	29	50.44560
PA-07	Vengoli Malai	76	49	1.62480	10	25	20.48960
PA-08	Sekkal Mudi	76	49	28.22520	10	23	37.47480
PA-09	Nai Kunnu	76	50	21.77160	10	20	50.58960
PA-10	Sholayar Reservoir	76	47	25.57680	10	18	49.68160
PA-11	Orukomban	76	41	2.82480	10	22	0.53040
PA-12	Orukombankutty	76	39	45.20160	10	23	4.91280
PA-13	Maduvaraichal	76	37	11.88840	10	23	1.62240
PA-15	Pundi Mudi	76	31	44.14440	10	24	7.75200
PA-16	Eastern boundary of Chimmony WLS	76	32	22.25400	10	25	11.40960
PA-17	South-east boundary of UTT Company estate	76	34	59.67120	10	26	8.66400
PA-18	Vellatti Mala	76	35	35.27160	10	28	44.46120
PA-19	Paydalkulam	76	34	28.94160	10	30	9.01440
PA-20	Oyaro Kunnu	76	36	10.17000	10	30	26.93880

KEY LOCATIONS IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF PARAMBIKULAM TIGER RESERVE

Serial Number	Name of Location	Longitude D	M	S	Latitude D	M	S
ESZ_01	Nagar Malla	76	38	28.52160	10	33	48.98160
ESZ_02	Mamalaru estate western boundary	76	40	5.48040	10	31	3.50000
ESZ_03	Pothundu estate western boundary	76	40	5.65320	10	30	12.47760
ESZ_04	Pullala estate western boundary	76	40	6.59680	10	28	46.63360
ESZ_05	Karadi estate	76	39	50.97840	10	28	9.82920
ESZ_06	Mayan Mudi	76	40	35.33880	10	27	46.04760
ESZ_07	Pandava Para	76	43	43.73400	10	28	18.72120
ESZ_08	Kachchitodu	76	46	19.66840	10	28	46.02000
ESZ_09	Varadikkulam	76	46	30.19440	10	30	16.20720
ESZ_10	Panni Mudi	76	48	1.37640	10	32	36.38600
ESZ_11	Malakkapara eastern boundary	76	52	27.99960	10	16	57.73440
ESZ_12	Perum Para	76	49	42.87000	10	16	49.72120
ESZ_13	Aira Kunnu	76	44	4.53480	10	16	13.72440
ESZ_14	Anakkayamkottai	76	40	54.03360	10	17	43.77840
ESZ_15	Poringalkuttu Reservoir	76	38	57.45800	10	19	7.81320
ESZ_16	Lakshmikayam	76	37	14.56680	10	20	57.50160
ESZ_17	Pottalan Mudi	76	35	52.58400	10	22	4.86120
ESZ_18	Anapantan	76	30	48.90960	10	22	41.03880
ESZ_19	Karimudam	76	32	57.61320	10	25	25.31640
ESZ_20	Tipollikayam Todu	76	34	19.45200	10	27	40.97880
ESZ_21	Kadappara	76	33	19.99600	10	28	49.75320
ESZ_22	Ponkandam	76	33	16.90920	10	29	52.48040
ESZ_23	Paidalo	76	33	29.49120	10	30	33.55200
ESZ_24	Olipara	76	34	11.89680	10	30	38.23560
ESZ_25	Poovazhodu	76	34	41.21040	10	31	38.16480
ESZ_26	Marudancheri	76	35	10.99320	10	31	37.03800
ESZ_27	Karimpara	76	35	30.76080	10	31	59.03040

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF PARAMBIKULAM TIGER RESERVE

Serial Number	Name of Location	Longitude			Latitude		
		D	M	S	D	M	S
PA-01	Kalchadi	76	36	28.50480	10	31	10.44120
PA-02	Karadi-Karapara estates boundary	76	39	13.03560	10	28	30.73440
PA-03	Southern boundary of Tuttanpara estate	76	42	11.75760	10	26	29.43600
PA-04	Elathodu	76	48	12.61800	10	30	7.78320
PA-05	Kuchi Mala	76	50	34.54080	10	32	4.44480
PA-06	Pandaravara	76	49	53.48640	10	29	50.44560
PA-07	Vengoli Malai	76	49	1.62480	10	25	20.49960
PA-08	Sekkal Mudi	76	49	28.22520	10	23	37.47480
PA-09	Nai Kunnu	76	50	21.77160	10	20	50.58960
PA-10	Sholayar Reservoir	76	47	25.57680	10	18	49.61160
PA-11	Orukomban	76	41	2.82480	10	22	0.53040
PA-12	Orukombankutty	76	39	45.20160	10	23	4.91280
PA-13	Muduvarachal	76	37	11.88840	10	23	1.62240
PA-15	Pundi Mudi	76	31	44.14440	10	24	7.73280
PA-16	Eastern boundary of Chimmony WLS	76	32	22.25400	10	25	11.40960
PA-17	South-east boundary of UTT Company estate	76	34	59.67120	10	26	8.66400
PA-18	Vellatti Mala	76	35	35.27160	10	28	44.46120
PA-19	Paydalkulam	76	34	28.94160	10	30	9.01440
PA-20	Oyara Kunnu	76	36	10.17000	10	30	26.93880

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Serial Number	Name of Location	Longitude			Latitude		
		D	M	S	D	M	S
ESZ_01	Nagar Mala	76	38	28.52160	10	33	48.98160
ESZ_02	Manalaru estate western boundary	76	40	5.48040	10	31	5.50200
ESZ_03	Pothundu estate western boundary	76	40	5.65320	10	30	12.47760
ESZ_04	Pullala estate western boundary	76	40	6.55680	10	28	48.63360
ESZ_05	Karadi estate	76	39	53.97840	10	28	9.82920
ESZ_06	Mayan Mudi	76	40	35.33880	10	27	46.04760
ESZ_07	Pandava Para	76	43	43.73400	10	28	18.72120
ESZ_08	Kachchitodu	76	45	19.68840	10	28	46.02000
ESZ_09	Varadikkulam	76	46	30.19440	10	30	16.20720
ESZ_10	Panni Mudi	76	49	1.37640	10	32	36.18600
ESZ_11	Malakkapara eastern boundary	76	52	27.96960	10	16	57.73440
ESZ_12	Perum Para	76	49	42.87000	10	16	49.77120
ESZ_13	Aira Kunnu	76	44	4.53480	10	16	13.27440
ESZ_14	Anaikayamkottai	76	40	54.03360	10	17	43.77840
ESZ_15	Poringalkuttu Reservoir	76	38	52.45800	10	19	7.81320
ESZ_16	Lakshmikayam	76	37	14.56680	10	20	57.50160
ESZ_17	Pottatan Mudi	76	35	52.58400	10	22	4.86120
ESZ_18	Anapantan	76	30	48.90960	10	22	41.09880
ESZ_19	Karimadam	76	32	57.61320	10	25	25.31640

ESZ_20	Tippilikayam Todu	76	34	19.45200	10	27	40.97880
ESZ_21	Kadappara	76	33	19.56600	10	28	49.75320
ESZ_22	Ponkandam	76	33	16.90920	10	29	52.49040
ESZ_23	Paidala	76	33	29.49120	10	30	33.55200
ESZ_24	Olipara	76	34	11.69760	10	30	38.23560
ESZ_25	Poovachodu	76	34	41.21040	10	31	38.16480
ESZ_26	Marudancheri	76	35	19.99320	10	31	37.03800
ESZ_27	Karimpara	76	35	30.76080	10	31	59.03040

ANNEXURE-IV

A. LIST OF HUMAN SETTLEMENTS/VILLAGES FALLING WITHIN ECO-SENSITIVE ZONE (IN THE DECLARED BUFFER ZONE OF PARAMBIKULAM TIGER RESERVE) ALONG WITH GEO-COORDINATES IN THRISSUR DISTRICT OF KERALA

Sl. No	Tehsil/Taluka	Revenue Village Name	No. of families	Population	GPS	
					Latitude	Longitude
1	Mukundapuram	Sholayar Power House	43	65	10.310788	76.741765
2	Mukundapuram	Thavalakuzhipara	39	133	10.288795	76.678477
3	Mukundapuram	Malakkappara	43	146	10.288055	76.872512
4	Mukundapuram	Anakayam	13	42	10.303952	76.728672

B. LIST OF TRIBAL SETTLEMENTS/VILLAGES IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF PARAMBIKULAM TIGER RESERVE (IN ALATHUR RANGE OF NEMMARA FOREST DIVISION - OUTSIDE TIGER RESERVE BOUNDARY) IN PALAKKAD DISTRICT OF KERALA

Sl. No.	Tehsil/ Taluka	Revenue Village Name	No. of families	Population	GPS	
					Latitude	Longitude
1	Chittoor	Kalchadi	40	139	10.52131	76.60316
2	Alathur	Kadappara	18	59	10.47126	76.56367
3	Alathur	Thalikakkallu	36	140	10.45548	76.57654

C. LIST OF OTHER SETTLEMENTS IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF PARAMBIKULAM TIGER RESERVE (IN ALATHUR RANGE OF NEMMARA FOREST DIVISION - OUTSIDE TIGER RESERVE BOUNDARY) IN PALAKKAD IN KERALA

Sl. No	Tehsil/ Taluka	Revenue Village Name	No. of families	Population	GPS	
					Latitude	Longitude
1	Chittoor	Karimpara	20	80	10.53019	76.59239
2	Chittoor	Chettikulambu	35	140	10.53055	76.59275
3	Chittoor	Marudancheri	40	160	10.52620	76.59048
4	Chittoor	Alampallam	40	160	10.52501	76.58381
5	Chittoor	Chevuni	55	220	10.52984	76.59996
6	Chittoor	Niranganpara	15	60	10.52620	76.60181
7	Chittoor	Poovachuvadu	80	320	10.52620	76.57815
8	Chittoor	Adiperanda	80	320	10.52477	76.57618
9	Chittoor	Poonjeri	35	140	10.52405	76.60163
10	Chittoor	Ovupara	40	160	10.51130	76.58339
11	Chittoor	Madakolambu	20	80	10.51786	76.57940
12	Chittoor	Thengumpadam	90	360	10.51309	76.57809
13	Chittoor	Olipara	50	200	10.51166	76.57195
14	Alathur	Paidala	40	160	10.50969	76.56444
15	Alathur	Mangalagiri	40	160	10.50785	76.55372

16	Alathur	Ponkandam	50	200	10.49783	76.55616
17	Alathur	Poothangode	20	80	10.49259	76.56385
18	Alathur	Vetrilathodu	20	80	10.48186	76.55735
19	Alathur	Kadamanpuzha	10	40	10.47817	76.55902
20	Alathur	Kadappara	70	280	10.47114	76.57094
			850	3400		

D. LIST OF HUMAN SETTLEMENTS/VILLAGES IN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF PARAMBIKULAM TIGER RESERVE (IN NELLIAMPATHY AND KOLLENGODE RANGES OF NEMMARA FOREST DIVISION - OUTSIDE TIGER RESERVE BOUNDARY) IN PALAKKAD DISTRICT OF KERALA

Sl. No	Tehsil/ Taluka	Village Name	Type of Village	No. of families	Popu-lation	GPS	
						Latitude	Longitude
1	Chittur	Allimooppan Colony, Thekkady	Revenue	79	362	10.522714	76.795385
2	Chittur	30 Acre Colony, Thekkady	Revenue	70	242	10.518786	76.798003
3		Kachithode		7	42		

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.01.30 15:27:54 +05'30'